

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०,
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/एम०आई०एस०/बजट/2016-17/51-एच/7453-2 दिनांक: 11-10-2018

विषय:- ए०एम०सी० हेतु जनपदों को वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु मानकों एवं दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आर०ओ०पी० 2018-19 Letter No. F.No. 10(10)/2018-NHM1 dated 13th July 2018 में प्राप्त स्वीकृति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यकारी समिति की 103 वीं बैठक दिनांक 21.08.2017 के एजेण्डा मद संख्या 103.84 में लिये गये निर्णय के क्रम में, मिशन प्लैक्सीपूल में एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस० के अन्तर्गत न्यू एफ०एम०आर० कोड संख्या 16.6.3 (पूर्व एफ०एम०आर० कोड संख्या B15.3.2.5) AMC of Computer / Printer / UPS हेतु निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:-

“Approval received for AMC of 1,846 Computers/printer/ UPS (75 District M&E Cell, 820 Block MCTS, 823 Block HMIS and 128 DH) being used for HMIS/MCTS/RCH portal related work. These are indicative rates, final rates are to be arrived at as per DGS & D rate contract of after competitive bidding following Government protocols. State must ensure that these equipments are not covered by post-sale warranty/guarantee.

उक्त मदों में स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु मानकों का विवरण निम्नानुसार है:-

- AMC @ Rs. 4,000.00 per year per computer basis for 820 Block MCTS computers.
- AMC @ Rs. 4,000.00 per year per computer basis for 823 Block HMIS computers.
- AMC @ Rs. 4,000.00 per year per computer basis for 128 District Hospital
- AMC @ Rs. 4,000.00 per year per computer basis for 75 DPMU computers/75 District M&E Cell
- ब्लॉक एवं जिला स्वास्थ्य इकाइयों में कम्प्यूटर, प्रिन्टर्स एवं यू०पी०एस० की ए०एम०सी० हेतु रु० 4400.00 प्रति कम्प्यूटर वार्षिक की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। इस मानक के अनुसार स्वास्थ्य इकाइयों में स्थापित 1771 (820 Block MCTS+823 Block HMIS+128 DH) कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू०पी०एस० के ए०एम०सी० (वार्षिक रख-रखाव) उपयोग हेतु एवं एण्टी-वायरस आदि पर नियमानुसार व्यय किया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार स्तर से जनपदीय एम०एण्ड०ई० सेल जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों हेतु स्वीकृत कम्प्यूटर प्रिन्टर्स एवं यू०पी०एस० की ए०एम०सी० हेतु रु० 4,400.00 प्रति कम्प्यूटर वार्षिक की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। इस मानक के अनुसार जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों में स्थापित 01 कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू०पी०एस० के ए०एम०सी० (वार्षिक रख-रखाव) उपयोग हेतु एवं एण्टी-वायरस आदि पर नियमानुसार व्यय किया जाएगा।
- जनपद में आपूर्ति सभी कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू०पी०एस० की ए०एम०सी० का अनुबन्ध करने से पूर्व स्थानीय एजेन्सियों से कोटेशन आमंत्रित किये जायें तथा नियमानुसार प्रक्रियाएं अपनाते हुए डी०एच०एस० के अनुमोदनोपरान्त अनुबन्ध की कार्यवाही की जाये। प्रत्येक कम्प्यूटर पर एन्टीवाइरस साफ्टवेयर उपलब्ध हो इस हेतु भी कार्यवाही नियमानुसार की जानी है। वार्षिक रखरखाव के अन्तर्गत कंज्यूमेबिल, प्लास्टिक पार्ट्स टोनर इत्यादि शामिल नहीं होते हैं तथा अन्य सभी स्पेयर्स शामिल किये जाते हैं।

जनपदवार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि हेतु विवरण निम्नवत् है-

Sl No.	Districts	No. of old HMIS computers, Printer and UPS					No. of Block level MCTS computers	Total No. of Computer System	For AMC of DPMU MIS/M & E Cell computers, printers and UPS	Total Fund Allocated to districts for AMC of Computer /Printer/UPS FY 2018-19	Fund allocated for 4 months DAP of FY 2018-19	Balance fund to be allocated for 8 months DAP of FY 2018-19
		No. of Block	DC II	DM H	DWH	Total units						
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6	Col.7= Col.(3+4+5+6)	Col.8	Col.9= Col.(7+8)	Col.10	Col.11= Col.(9+10) *4000.00	Col.13	Col.14 = Col.(12-13)
1	Agra	15	0	1	1	17	15	32	1	132000	44133	87867
2	Aligarh	12	1	1	1	15	12	27	1	112000	37467	74533
3	Allahabad	20	-	2	1	23	20	43	1	176000	58800	117200
4	Ambedkar Nagar	9	1	-	-	10	9	19	1	80000	26800	53200
5	Amethi	13	0	0	0	13	13	26	1	108000	36133	71867
6	Amroha(JP Nagar)	6	-	-	-	6	6	12	1	52000	17467	34533
7	Auraiya	7	-	-	-	7	7	14	1	60000	20133	39867
8	Azamgarh	22	-	1	1	24	22	46	1	188000	62800	125200
9	Bagpat	6	-	-	-	6	6	12	1	52000	17467	34533
10	Bahraich	14	-	1	1	16	14	30	1	124000	41467	82533
11	Ballia	17	-	1	1	19	17	36	1	148000	49467	98533
12	Balrampur	9	--	1	1	11	9	20	1	84000	28133	55867
13	Banda	8	-	1	1	10	8	18	1	76000	25467	50533
14	Barabanki	15	-	1	1	17	15	32	1	132000	44133	87867
15	Bareilly	15	-	1	1	17	15	32	1	132000	44133	87867
16	Basti	14	-	1	1	16	14	30	1	124000	41467	82533
17	Bijnor	11	1	-	1	13	11	24	1	100000	33467	66533
18	Budaun	15	-	1	1	17	15	32	1	132000	44133	87867
19	Bulandshahar	16	1	1	1	19	16	35	1	144000	48133	95867
20	Chandauli	9	-	1	-	10	9	19	1	80000	26800	53200
21	Chitrakoot	5	1	--	-	6	5	11	1	48000	16133	31867
22	Deoria	16	-	1	1	18	16	34	1	140000	46800	93200
23	Etah	8	-	1	1	10	8	18	1	76000	25467	50533
24	Etawah	8	-	1	1	10	8	18	1	76000	25467	50533
25	Faizabad	11	-	1	1	13	11	24	1	100000	33467	66533
26	Farrukhabad	7	-	1	1	9	7	16	1	68000	22800	45200
27	Fatehpur	13	-	1	1	15	13	28	1	116000	38800	77200
28	Firozabad	9	1	1	1	12	9	21	1	88000	29467	58533
29	G B Nagar	4	1	-	-	5	4	9	1	40000	13467	26533
30	Ghaziabad	4	1	1	1	7	4	11	1	48000	16133	31867
31	Ghazipur	16	-	1	1	18	16	34	1	140000	46800	93200
32	Gonda	16	--	1	1	18	16	34	1	140000	46800	93200
33	Gorakhpur	19	-	1	1	21	19	40	1	164000	54800	109200
34	Hamirpur	7	-	1	1	9	7	16	1	68000	22800	45200
35	Hapur	4	0	0	0	4	4	8	1	36000	12133	23867
36	Hardoi	19	-	1	1	21	19	40	1	164000	54800	109200
37	Hathras	7	1	-	1	9	7	16	1	68000	22800	45200
38	Jalaun	9	-	1	1	11	9	20	1	84000	28133	55867
39	Jaunpur	21	-	1	1	23	21	44	1	180000	60133	119867
40	Jhansi	8	-	1	1	10	8	18	1	76000	25467	50533
41	Kannauj	8	1	-	-	9	8	17	1	72000	24133	47867
42	Kanpur Dehat	10	1	-	-	11	10	21	1	88000	29467	58533
43	Kanpur Nagar	10	-	2	1	13	10	23	1	96000	32133	63867
44	Kashganj	7	-	1	-	8	7	15	1	64000	21467	42533
45	Kaushambi	8	1	-	-	9	8	17	1	72000	24133	47867
46	Kushinagar	14	1	-	-	15	14	29	1	120000	40133	79867
47	Lakhimpur Kheri	15	-	1	1	17	15	32	1	132000	44133	87867
48	Lalitpur	6	-	1	1	8	6	14	1	60000	20133	39867
49	Lucknow* (+3 Block)	11	1	1	2	15	8	23	1	96000	32133	63867
50	Maharajganj	12	1	-	-	13	12	25	1	104000	34800	69200
51	Mahoba	4	1	-	1	6	4	10	1	44000	14800	29200
52	Mainpuri	9	-	1	1	11	9	20	1	84000	28133	55867
53	Mathura	10	-	1	1	12	10	22	1	92000	30800	61200
54	Mau	9	1	-	-	10	9	19	1	80000	26800	53200
55	Meerut	12	-	1	1	14	12	26	1	108000	36133	71867
56	Mirzapur	12	-	1	1	14	12	26	1	108000	36133	71867
57	Moradabad	8	-	1	1	10	8	18	1	76000	25467	50533

Sl No.	Districts	No. of old HMIS computers, Printer and UPS					No. of Block level MCTS computers	Total No. of Computer System	For AMC of DPMU MIS/M & E Cell computers, printers and UPS	Total Fund Allocated to districts for AMC of Computer /Printer/UPS FY 2018-19	Fund allocated for 4 months DAP of FY 2018-19	Balance fund to be allocated for 8 months DAP of FY 2018-19
		No. of Block	DC H	DM H	DWH	Total units						
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6	Col.7= Col.(3+4+5+6)	Col.8	Col.9= Col.(7+8)	Col.10	Col.11= Col.(9+10) *4000.00	Col.13	Col.14 = Col.(12-13)
58	Muzaffar Nagar	9	-	1	1	11	9	20	1	84000	28133	55867
59	Pilibhit	7	-	1	1	9	7	16	1	68000	22800	45200
60	Pratapgarh	17	-	1	1	19	17	36	1	148000	49467	98533
61	Rae Bareilly	18	-	1	1	20	18	38	1	156000	52133	103867
62	Rampur	6	-	1	1	8	6	14	1	60000	20133	39867
63	Saharanpur	11	-	1	1	13	11	24	1	100000	33467	66533
64	Sambhal	8	-	-	-	8	8	16	1	68000	22800	45200
65	Sant Kabir Nagar	9	-	-	-	9	9	18	1	76000	25467	50533
66	S R Nagar (Bhadohi)	6	-	1	-	7	6	13	1	56000	18800	37200
67	Shahjahanpur	15	-	1	1	17	15	32	1	132000	44133	87867
68	Shamli	5	0	0	0	5	5	10	1	44000	14800	29200
69	Shrawasti	5	-	-	-	5	5	10	1	44000	14800	29200
70	Siddharth Nagar	14	1	-	-	15	14	29	1	120000	40133	79867
71	Sitapur	19	-	1	1	21	19	40	1	164000	54800	109200
72	Sonbhadra	8	1	-	-	9	8	17	1	72000	24133	47867
73	Sultanpur	13	-	1	1	15	13	28	1	116000	38800	77200
74	Unnao	16	-	1	1	18	16	34	1	140000	46800	93200
75	Varanasi	8	-	3	1	12	8	20	1	84000	28133	55867
	Total	823	19	56	53	951	820	1771	75	7384000	2471333	4912667

अतः उपरोक्तानुसार 1846 (820 Block MCTS+823 Block HMIS+128 DH) कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यू0पी0एस0 एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों तथा एम0एण्ड0ई0 सेल में उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 हेतुरू0 4400.00 प्रतिवर्ष की दर से ए0एम0सी0 हेतु वित्त अनुभाग द्वारा जनपदों को डैप के माध्यम से धनराशि आवंटित की गयी है। कृपया उक्त मानकों के अनुसार एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय न्यू एफ0एम0आर0 कोड संख्या 16.6.3 (पूर्व एफ0एम0आर0 कोड संख्या B15.3.2.5) AMC of Computer / Printer / UPS से किया जाना सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश:

उक्त धनराशियों का व्यय "आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।

2. स्वीकृत मद का पुनर्विनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।

5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक

पत्रांक:-एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0आई0एस0/बजट/2016-17/51-एच/

तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0-एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश एवं महाप्रबन्धक एम0आई0आई0 को इस आशय से प्रेषित की दिशा-निर्देश की प्रति कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(बी0के0 जैन)

महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0